



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04092025-265977
CG-DL-E-04092025-265977

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3953]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 4, 2025/भाद्र 13, 1947

No. 3953]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 4, 2025/BHADRA 13, 1947

रसायन और उर्वरक मंत्रालय
(रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 4 सितंबर, 2025

का.आ. 4066(अ).—केंद्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 17 और धारा 25 की उप धारा (3) के साथ पठित धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह राय रखते हुए कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तथा भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात, 50 किग्रा सीमेंट की पैकेजिंग के लिए कपड़ा - उच्च घनत्व के पॉलीएथिलीन (एचडीपीई) / पॉलीप्रोपिलीन (पीपी) बुने हुए बोरे (क्वालिटी नियंत्रण) आदेश, 2023 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थातः

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम 50 किग्रा सीमेंट की पैकेजिंग के लिए कपड़ा - उच्च घनत्व के पॉलीएथिलीन (एचडीपीई) / पॉलीप्रोपिलीन (पीपी) बुने हुए बोरे (क्वालिटी नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2025 है।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. 50 किग्रा सीमेंट की पैकेजिंग के लिए कपड़ा - उच्च घनत्व के पॉलीएथिलीन (एचडीपीई) / पॉलीप्रोपिलीन (पीपी) बुने हुए बोरे (क्वालिटी नियंत्रण) आदेश, 2023, के पैरा 1 में, उप-पैरा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप पैरा रखा जाएगा, अर्थातः

“(2) यह आदेश 6 जनवरी, 2026 को प्रवृत्त होगा”।

[फा. सं. पीसी-II-25014/9/2019-टेक.सीपीसी]

दीपक मिश्रा, संयुक्त सचिव

टिप्पण: 50 किग्रा सीमेंट की पैकेजिंग के लिए कपड़ा - उच्च घनत्व के पॉलीएथिलीन (एचडीपीई) / पॉलीप्रोपिलीन (पीपी) बुने हुए बोरे (क्वालिटी नियंत्रण) आदेश, 2023 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 5178(अ), तारीख 6 दिसंबर, 2023 द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात अधिसूचना संख्यांक का.आ. 2181(अ), तारीख 4 जून, 2024, का.आ. 3938 (अ), तारीख 13 सितंबर, 2024, का.आ. 5261 (अ), तारीख 6 दिसंबर, 2024 और का.आ. 2551(अ), तारीख 11 जून, 2025 द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

(Department Of Chemicals And Petrochemicals)

ORDER

New Delhi, the 4th September, 2025

S.O. 4066(E).—In exercise of the powers conferred by section 16 read with section 17 and sub-section (3) of Section 25 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, being of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest and after consulting the Bureau of Indian Standards, hereby makes the following Order further to amend the Textiles — High Density Polyethylene (HDPE)/Polypropylene (PP) Woven Sacks for Packaging of 50 kg Cement (Quality Control) Order, 2023, namely: -

1. (1) This Order may be called the Textiles — High Density Polyethylene (HDPE)/ Polypropylene (PP) Woven Sacks for Packaging of 50 kg Cement (Quality Control) Second Amendment Order, 2025.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Textiles — High Density Polyethylene (HDPE)/Polypropylene (PP) Woven Sacks for Packaging of 50 kg Cement (Quality Control) Order, 2023, in paragraph 1, for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely: —

“(2) It shall come into force on the 6th day of January, 2026”.

[F. No. PC-II-25014/9/2019-TECH.-CPC]

DEEPAK MISHRA, Jt. Secy.

Note: The Textiles — High Density Polyethylene (HDPE)/Polypropylene (PP) Woven Sacks for Packaging of 50 kg Cement (Quality Control) Order, 2023 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* notification number S.O. 5178(E), dated the 6th December, 2023 and subsequently amended *vide* notification numbers S.O. 2181(E), dated the 4th June, 2024, S.O. 3938(E), dated the 13th September 2024, S.O. 5261(E), dated the 6th December, 2024 and S.O. 2551(E), dated the 11th June, 2025.

आदेश

नई दिल्ली, 4 सितंबर, 2025

का.आ. 4067(अ).—केंद्रीय सरकार की, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 17 और धारा 25 की उप धारा (3) के साथ पठित धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह राय रखते हुए कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तथा भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात, 50 किग्रा सीमेंट की पैकेजिंग के लिए कपड़ा - पॉलीप्रोपिलीन (पीपी) बुने हुए, लैमिनेटिड, ब्लॉक बॉटम वाल्व बोरे (क्वालिटी नियंत्रण) आदेश, 2023 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात:

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम 50 किग्रा सीमेंट की पैकेजिंग के लिए कपड़ा - पॉलीप्रोपिलीन (पीपी) बुने हुए, लैमिनेटिड, ब्लॉक बॉटम वाल्व बोरे (क्वालिटी नियंत्रण) आदेश, 2025 है।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. 50 किग्रा सीमेंट की पैकेजिंग के लिए कपड़ा - पॉलीप्रोपिलीन (पीपी) बुने हुए, लैमिनेटिड, ब्लॉक बॉटम वाल्व बोरे (क्वालिटी नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2023, के पैरा 1 में, उप-पैरा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप पैरा रखा जाएगा, अर्थात:

“(2) यह आदेश 6 जनवरी, 2026 को प्रवृत्त होगा”।

[फा. सं. पीसी-II-25014/9/2019-टेक.सीपीसी]

दीपक मिश्रा, संयुक्त सचिव

टिप्पण: 50 किग्रा सीमेंट की पैकेजिंग के लिए कपड़ा - पॉलीप्रोपिलीन (पीपी) बुने हुए, लैमिनेटिड, ब्लॉक बॉटम वाल्व बोरे (क्वालिटी नियंत्रण) आदेश, 2023 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 5179(अ), तारीख 6 दिसंबर, 2023 द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात अधिसूचना संख्यांक का.आ. 2182 (अ), तारीख 4 जून, 2024, का.आ. 3939 (अ), तारीख 13 सितंबर, 2024, का.आ. 5262(अ), तारीख 6 दिसंबर, 2024 और का.आ. 2552(अ), तारीख 11 जून, 2025 द्वारा संशोधित किया गया था।

ORDER

New Delhi, the 4th September, 2025

S.O. 4067(E).—In exercise of the powers conferred by section 16 read with section 17 and sub-section (3) of Section 25 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, being of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest and after consulting the Bureau of Indian Standards, hereby makes the following Order further to amend the Textiles — Polypropylene (PP) Woven, Laminated, Block Bottom Valve Sacks for Packaging of 50 kg Cement (Quality Control) Order, 2023, namely: -

1. (1) This Order may be called the Textiles — Polypropylene (PP) Woven, Laminated, Block Bottom Valve Sacks for Packaging of 50 kg Cement (Quality Control) Second Amendment Order, 2025.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Textiles — Polypropylene (PP) Woven, Laminated, Block Bottom Valve Sacks for Packaging of 50 kg Cement (Quality Control) Order, 2023, in paragraph 1, for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely: —

“(2) It shall come into force on the 6th day of January, 2026”.

[F. No. PC-II-25014/9/2019-TECH.-CPC]

DEEPAK MISHRA, Jt. Secy.

Note: The Textiles — Polypropylene (PP) Woven, Laminated, Block Bottom Valve Sacks for Packaging of 50 kg Cement (Quality Control) Order, 2023 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* notification number S.O. 5179(E), dated the 6th December, 2023 and subsequently amended *vide* notification numbers S.O. 2182(E), dated the 4th June, 2024, S.O. 3939(E), dated the 13th September 2024, S.O. 5262(E), dated the 6th December, 2024 and S.O. 2552(E), dated the 11th June, 2025.

आदेश

नई दिल्ली, 4 सितंबर, 2025

का.आ. 4068(अ).—केंद्रीय सरकार की, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 17 और धारा 25 की उप धारा (3) के साथ पठित धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह राय रखते हुए कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तथा भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात, डाक की छंटाई, भंडारण, परिवहन और वितरण के लिए कपड़ा - पॉलीप्रोपिलीन (पीपी)/उच्च घनत्व के पॉलीएथिलीन (एचडीपीई) लैमिनेटेड बुने हुए बोरे (क्वालिटी नियंत्रण) आदेश, 2023 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात:

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम डाक की छंटाई, भंडारण, परिवहन और वितरण के लिए कपड़ा - पॉलीप्रोपिलीन (पीपी)/उच्च घनत्व पॉलीएथिलीन (एचडीपीई) लैमिनेटेड बुने हुए बोरे (क्वालिटी नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2025 है।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. डाक की छंटाई, भंडारण, परिवहन और वितरण के लिए कपड़ा - पॉलीप्रोपिलीन (पीपी)/उच्च घनत्व पॉलीएथिलीन (एचडीपीई) लैमिनेटेड बुने हुए बोरे (क्वालिटी नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2023, के पैरा 1 में, उप-पैरा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप पैरा रखा जाएगा, अर्थात:

“(2) यह आदेश 6 जनवरी, 2026 को प्रवृत्त होगा”।

[फा. सं. पीसी-II-25014/9/2019-टेक.सीपीसी]

दीपक मिश्रा, संयुक्त सचिव

टिप्पणः डाक की छंटाई, भंडारण, परिवहन और वितरण के लिए कपड़ा - पॉलीप्रोपिलीन (पीपी)/उच्च घनत्व के पॉलीएथिलीन (एचडीपीई) लैमिनेटिड बुने हुए बोरे (क्वालिटी नियंत्रण) आदेश, 2023 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 5181 (अ), तारीख 6 दिसंबर, 2023 द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात अधिसूचना संख्यांक का.आ. 2183(अ), तारीख 4 जून, 2024, का.आ. 3940 (अ), तारीख 13 सितंबर, 2024, का.आ. 5263(अ), तारीख 6 दिसंबर 2024 और का.आ. 2553 (अ), तारीख 11 जून, 2025 द्वारा संशोधित किया गया था।

ORDER

New Delhi, the 4th September, 2025

S.O. 4068(E).—In exercise of the powers conferred by section 16 read with section 17 and sub-section (3) of Section 25 the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, being of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest and after consulting the Bureau of Indian Standards, hereby makes the following Order further to amend the Textiles — Polypropylene (PP)/ High Density Polyethylene (HDPE) Laminated Woven Sacks for Mail Sorting, Storage, Transport and Distribution (Quality Control) Order, 2023, namely:

1. (1) This Order may be called the Textiles — Polypropylene (PP)/ High Density Polyethylene (HDPE) Laminated Woven Sacks for Mail Sorting, Storage, Transport and Distribution (Quality Control) Second Amendment Order, 2025.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Textiles — Polypropylene (PP)/ High Density Polyethylene (HDPE) Laminated Woven Sacks for Mail Sorting, Storage, Transport and Distribution (Quality Control) Order, 2023, in paragraph 1, for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely: —

“(2) It shall come into force on the 6th day of January, 2026”.

[F. No. PC-II-25014/9/2019-TECH.-CPC]

DEEPAK MISHRA, Jt. Secy.

Note: The Textiles — Polypropylene (PP)/ High Density Polyethylene (HDPE) Laminated Woven Sacks for Mail Sorting, Storage, Transport and Distribution (Quality Control) Order, 2023 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii) *vide* notification number S.O. 5181(E), dated the 6th December, 2023 and subsequently amended *vide* notification numbers S.O. 2183(E), dated the 4th June, 2024, S.O. 3940(E), dated the 13th September 2024 and S.O. 5263(E), dated the 6th December, 2024 and S.O. 2553(E), dated the 11th June, 2025.